हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण आदेश नही लिखा गया। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 13.2.20 को पेश हो।	
2.20 पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन मे प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। वकील प्रार्थीगण ने बहस मे बताया कि संवत 2073-2076 जमाबंदी मे भूमि अप्रार्थी के नाम 81.08 बीघा दर्ज है। अप्रार्थी जिंदल शा लिमिटेड को बेचना चाहते है, भूमि पैतृक है या स्वयं की खरीदी हुई है यह वाद पत्र मे साक्ष्यो के आधार पर निर्धारित होगी। वाद पत्र के निर्णय होने मे समय लगेगा इसलिए भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, इसीलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जरुरी है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि जवाब की चरण सं. 1 मे जमाबंदी संवत 2016 से 2019 की जमाबंदी मे खातेदार अप्रार्थी के नाम पर ही दर्ज है। जिसे अनदेखा नही किया जा सकता है, सम्पति स्वअर्जित है। जो स्व: गुलाबसिंह जी से जरिए पट्टा से प्राप्त हुई है, जिसके दस्तावेज भी पेश किये है, आराजियात मौरूसी नही है। जिंदल शा लिमिटेड को लीज पर देने का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने पेश नही किया, मै काश्त कर रहा हूं इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमायी जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता. मे जारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टिया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से विपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूं।

अत;

: : आदेश : :

ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नम्बर 820, 822, 823, 824, 832, 835, 836, 837, 1051, 1051/1, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1058/1, 1059, 1080, 1081, 1082, 1087, 1088, 1090, 1094, 1095, 2110/822, 2127/1097, 2128/1236, 2137/1100, 2313/1236 कुल किता 32 रकबा 81 बीघा 08 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वंय करे, न किसी अन्य से करावे। तथा शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी के विरुद्ध मूल वाद पत्र के निस्तारण तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 10:40:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: